उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोटर्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

फोन न० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांकः–परीक्षा/ 49 /2023–24 दिनांकः 06 जून, 2023

विज्ञप्ति/अधिसूचना

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दिनांक 21 मई, 2023 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक पदनाम **रक्षक (सचिवालय सुरक्षा संवर्ग)** (पद कोड–451/661/31/2021) की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई।

उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति/अधिसूचना संख्या–48/गोपन/2023–24 दिनांक 26 मई, 2023 के द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक नाप–जोख हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाईट www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की गई। शारीरिक नाप–जोख हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाईट पर अपलोड है।

अतः शारीरिक माप–जोख हेतु समस्त औपबन्धिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि :–

1. **रक्षक (सचिवालय सुरक्षा संवर्ग)** की शारीरिक नाप–जोख परीक्षण एवं **अभिलेख सत्यापन** दिनांक **13–06–2023** को **कार्यालय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर देहरादून** में आयोजित की जायेगी।
2. शारीरिक माप–जोख परीक्षण हेतु तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत् है :–

क्रं0 सं0	शारीरिक परीक्षण हेतु जारी औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची का S.No.	शारीरिक नाप–जोख परीक्षण एवं अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि	शारीरिक नाप–जोख परीक्षण एवं अभिलेख सत्यापन हेतु परीक्षा स्थल
1	S.No. 01 से 66 तक	दिनांक 13–06–2023	**चयन आयोग, देहरादून**

3. शारीरिक नाप–जोख परीक्षण एवं अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को आयोग कार्यालय में **प्रातः 9.30 बजे** में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
4. शारीरिक नाप–जोख परीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक में छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शारीरिक नाप–जोख परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को अपना लिखित परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र एवं 02 पासपोर्ट साईज फोटो एवं मूल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।
5. शारीरिक नाप–जोख परीक्षण के उपरान्त अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित, जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गये शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र, की स्वप्रमाणित दो–दो प्रतियाँ (अलग–अलग) **व 06 पास पोर्ट आकार की फोटोग्राफ** के साथ **निर्धारित तिथियों** को **यथा समय आयोग कार्यालय** में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
6. ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य समस्त वर्षों सहित अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र तथा आरक्षण व स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। **आरक्षण (EWS/OBC/SC/ST/PH/EX/DFF) का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो**, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल एवं छायाप्रति लाना अनिवार्य है।
8. आयोग की वेबसाइट पर **संवाद संख्या–79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट)** एवं **अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेश पत्र** संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को

डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो–दो प्रतियाँ (अलग–अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।

9. अभिलेख सत्यापन एवं शारीरिक नाप–जोख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध मे यदि कोई गंभीर कारण हों तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 07 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।
10. यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
11. आयोग परिसर में मोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।